ग्रामीण सेवा शिविर–2025
दिनांक 17.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 450/2025
जितेन्द्र बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एव हल्का पटवारी उमरलाई खालसा व भू.अ.नि. कानाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पचपदरा की अनुशंसा के अनुसार ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खाता संख्या 51 खसरा संख्या 510/227 व 512/244 मे प्रार्थी का नाबालिग जीताराम पुत्र शंकराराम संरक्षक सरपरस्त बुदकी वेवा शंकराराम नाम सहखातेदारी में दर्ज है,जो कि रेकर्ड मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जितेन्द्र है,जो शुद्व करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थी का वर्तमान रेकर्ड मे नाबालिग जीताराम पुत्र शंकराराम संरक्षक सरपरस्त बुदकी वेवा शंकराराम नाम दर्ज है,इसके स्थान पर प्रार्थी जितेन्द्र पुत्र शंकरराम नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है,जो कि स्वीकार योग्य नही है,क्योकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता कि प्रार्थी नाम दुरूस्ती करवाने का हकदार हो। इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम अशुद्व दर्ज होने का क्या आधार रहा,इसका भी कोई स्पष्टीकरण नही है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा

प्रतिः–

1. तहसीलदार पचपदरा को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी जीताराम पुत्र शंकराराम तहसील पचपदरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा